

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टरचूरु.....
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ..टाटर



—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..टाटर..... व भू.अ.नि.....
.....चूरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदारचूरु...../नायब तहसीलदारचूरु..... की
अनुशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
अनुसरण में ग्रामटाटर..... तहसीलचूरु..... व जिलाचूरु..... की
जमाबन्दी सम्वत्2070-2073..... में खाता संख्या116..... में वर्तमान में
दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	टाटर	116	टोरमल पुत्र मुराराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी टाटर खातेदार रहिन (पूर्व खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चूरु	टोरमल पुत्र मुराराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी टाटर खातेदार रहिन (पूर्व खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चूरु



(08/10/21)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,चूरु.....

दिनांक :- 08/10/21

क्रमांक :- 66/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदारचूरु..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीटोरमल पुत्र मुराराम जाति ब्राह्मण निवासी टाटर.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

11-6
1760
9-10-21

(09/10/21)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,चूरु.....

